सरकार भारत
मंत्रालय वित्त
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली दिनांक 02-08-2016

अधिसूचना सं. 64/2016 [एफ.सं.203/38/2015-आईटीए (II)] °

सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संगठन मेसर्स भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे (पैन:- AAAA11546E) को आयकर अधिनियम, 1961 (उक्त अधिनियम) की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजन के लिए, आयकर नियम, 1962 (उक्त नियम) के नियम 5सी और 5ई के साथ पठित, केंद्र सरकार द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2017-2018 और उसके बाद अनुसंधान गतिविधियों में लगे "विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्थान" की श्रेणी के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदित किया गया है, अर्थात्:

(i) अनुमोदित संगठन को भुगतान की गई राशि का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाएगा;

(ii) अनुमोदित संगठन अपने संकाय सदस्यों या अपने नामांकित छात्रों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान करेगा;

(iii) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों के संबंध में अलग-अलग लेखा पुस्तकें बनाए रखेगा, उनमें अनुसंधान के लिए उपयोग की गई राशियों को दर्शाएगा, उक्त अधिनियम की धारा 288 की उप-धारा (2) के स्पष्टीकरण में परिभाषित लेखाकार द्वारा ऐसी पुस्तकों का लेखा-परीक्षण कराएगा और ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसी लेखा-परीक्षण रिपोर्ट, उक्त अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक, मामले पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले आयकर आयुक्त या आयकर निदेशक को प्रस्तुत करेगा:

(iv) अनुमोदित संगठन प्राप्त दान और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयुक्त राशियों का एक अलग विवरण बनाए रखेगा और लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित ऐसे विवरण की एक प्रति ऊपर उल्लिखित लेखा-परीक्षण रिपोर्ट के साथ संलग्न करेगा।

2. केंद्र सरकार अनुमोदन वापस ले लेगी यदि अनुमोदित संगठन:

(क) अनुच्छेद 1 के उप-अनुच्छेद (iii) में निर्दिष्ट पृथक लेखा-बही रखने में विफल रहता है; या

(ख) अनुच्छेद 1 के उप-अनुच्छेद (iii) में निर्दिष्ट अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या

(ग) अनुच्छेद 1 के उप-अनुच्छेद (iv) में निर्दिष्ट वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान और आवेदित राशियों का विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या

(घ) अपनी अनुसंधान गतिविधियाँ जारी रखना बंद कर देता है या उसकी अनुसंधान गतिविधियाँ वास्तविक नहीं पाई जाती हैं; या

(ङ) उक्त अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के उपबंधों, जिन्हें उक्त नियमों के नियम 5ग और 5ङ के साथ पढ़ा जाए, का पालन करना बंद कर देता है।